# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला दूदू

मु0न0:– 45/2021
निर्णय दिनांक:– 04.04.2024
बइजलास:– राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)

धर्मेन्द्र कुमार पारीक पुत्र पुरूषोत्तम एन. पारीक दत्तक पुत्र मोहनलाल पारीक जाति पारीक निवासी ग्राम नीमेडा तहसील फागी जिला जयपुर राज. हाल निवासी जी–47 आर.एस.एस. नगर एम.आई.जी. कॉलोनी इन्दौर, नन्दा नगर इन्दौर मध्यप्रदेश,

वादी

बनाम

तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला दूदू।

प्रतिवादी

उपस्थिति अधिवक्ता:– श्री प्रेमचन्द शर्मा व बुद्धिप्रकाश वकील वादी
वाद घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती

निर्णय दिनांक:– 04.04.2024

**वाद पत्र के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि** विवादग्रस्त आराजी **खाता संख्या 265** के आराजी खसरा नम्बर 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2818 कुल किता 14 कुल रकबा 15 बीघा 12 बिस्वा अर्थात 3.9324 है0 भूमि वाके ग्राम नीमेडा पटवार हल्का नीमेडा भू0अभिलेख क्षैत्र नीमेडा तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है जिसका वादी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा मौके पर काबिज काश्त होकर लगान सरकारी जमा कराता चला आ रहा है। वादी के नाना मोहनलाल की मृत्यु होने पर पंगडी संस्कार वादी के हुआ, इसी अनुसार मोहनलाल की खातेदारी भूमि पैरा सं01 में वर्णित भूमि में का नामान्तकरण वादी के खोला गया तब से वादी उक्त भूमि का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। वादी के गोद आने से पूर्व और बाद में समस्त दस्तावेजात, आधार कार्ड, पेन कार्ड, पासपोट, मतदाता पहचान पत्र, शैक्षणिक दस्तावेजात में धर्मेन्द्र कुमार पुत्र पुरूषोतम एन. पारीक नाम से बनते रहे, लेकिन जानकारी के अभाव में राजस्व रिकार्ड में धर्मेन्द्र कुमार पुत्र मोहनलाल के नाम से रहा, इसी कारण वादी को सरकार की तरफ से मिलने वाली देय लाभों से वचिंत होना पड रहा है, ना ही किसान कार्ड आदि बन रहे है। वादी अपनी व्यवसायिक कार्य से इन्दौर मध्यप्रदेश में रहने लगा, आर्थिक मंदी होने के कारण अभी हाल दिनांक 12.07.2021 को अपनी आराजी भूमि पर किसान कार्ड बनवाने हेतु ग्राम नीमेडा आकर बैंक से सम्पर्क किया तो जमाबन्दी व दस्तावेजों में पिता के नाम में अन्तर होने के कारण बैंक अधिकारियो

लगातार................2

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला–दूदू

ने राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करवाने बाबत् कहों इसलिये उक्त वाद पत्र मान्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। वादी के समस्त दस्तावेजात व राजस्व जमाबन्दी में पिता का नाम अलग होने के कारण काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है इसलिये वादी अपनी खातेदारी भूमि के राजस्व रिकार्ड में धर्मेन्द्र कुमार पुत्र मोहनलाल की जगह धर्मेन्द्र कुमार पुत्र पुरूषोतन एन पारीक पुत्र मोहनलाल दर्ज करवाया जाना आवश्यक हुआ है। वादी का राजस्व रिकार्ड में गलत नाम होने के कारण काफी असुविधाओं का सामना करना पड रहा है तथा अपने हक व अधिकारों से वचिंत होना पड रहा है इसलिये यदि इसे दुरूस्त नही किया तो वादी के विधिक अधिकारों का हनन होगा एवं वादी को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा तथा खर्चे से जेर बार होना पडेगा ऐसी स्थिति में वादी को अपूणीय क्षति होगीं जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। पक्षकारान का निवास स्थान व विवादग्रस्त आराजी श्रीमान न्यायालय के क्षैत्राधिकार में होने से सुनवाई व निस्तारण का अधिकार प्राप्त है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलवी जारी की गई। प्रतिवादी की और से पैरोकार सरकार उपस्थित आये तथा जबाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया।

साक्ष्य वादी हेतु वादी ने स्वंय का पी0डब्लू 1 एवं पी0डब्लू 2 श्रीमती शांति देवी धर्मपत्नि स्व0 श्री पुरूषोत्तम एन. पारीक जाति पारीक निवासी ग्राम नीमेडा तह0 फागी जिला जयपुर हाल नि0 वार्ड नं. 10 मोहल्ला फूटी बावड़ी निवाई तहसील निवाई जिला टोंक राज0 के शपथ पत्र पेश किये जो शमिल मिसल किये गये तथा अपने शपथ मे धर्मेन्द्र कुमार पुत्र मोहनलाल के स्थान पर धमेन्द्र कुमार पुत्र पुरूषोतन एन पारीक दत्तक पुत्र मोहनलाल किये जाने के समर्थन मे पेश किये।

बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपने वाद पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये वादी का वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया की मुताबिक प्रदर्श 1 जमाबन्दी सम्वत 2075 – 2078 वाके ग्राम नीमेडा के खाता सं0 265 धर्मेन्द्र कुमार दत्तक पुत्र मोहनलाल हिस्सा पूर्ण जाति पुरोहित सा0देह दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक प्रदर्श 02 नामान्तकरण सं0 833 दिनांक 24.02.1981 द्वारा जरिये विरासत से वादी के नाम दर्ज रिकार्ड हुई है। मुताबिक प्रदर्श 03 ग्राम पंचायत निमेडा द्वारा प्रमाण पत्र अनुसार मोहनलाल ना

लगातार................3

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–दूदू

उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते जिला – दूदू

औलाद फौत होना बताया है तथा शान्ति देवी के वारिस धर्मेन्द्र कुमार को ही मोहनलाल का वारिस माना गया है। मुताबिक प्रदर्श 4 पत्रावली मे संलग्न वादी के दस्तावेजात की छायाप्रति अनुसार वादी का सही नाम धर्मेन्द्रकुमार पारीक पुत्र पुरूषोत्तम एन पारीक अंकित है। गवाहान ने भी अपने शपथ पत्र मे वादी का सही नाम धर्मेन्द्र कुमार पुत्र मोहनलाल के स्थान पर धर्मेन्द्र कुमार पुत्र पुरूषोतन एन पारीक दत्तक पुत्र मोहनलाल होने का कथंन किया है।

उपरोक्त तथ्यो एवं गवाहाना के बयानो से वादी का सही नाम धर्मेन्द्र कुमार पुत्र पुरूषोत्तम एन पारीक दत्तक पुत्र मोहनलाल होना प्रतीत होता है। उपरोक्त तथ्यो के प्रकाश मे न्यायालय वादी का वाद डिक्री किया जाना उचित समझता है।

अतः वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त आराजी **खाता संख्या** के आराजी खसरा नम्बर 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2818 कुल किता 14 कुल रकबा 15 बीघा 12 बिस्वा, भूमि वाके ग्राम नीमेडा तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है। आराजीयात के वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे अंकन धर्मेन्द्र कुमार पुत्र मोहनलाल के स्थान पर धर्मेन्द्र कुमार पुत्र पुरूषोत्तम एन पारीक दत्तक पुत्र मोहनलाल दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है तथा वादी को अपने राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष इन्द्राज यथावत रहेगा। मुताबिक निर्णय पर्चा डिक्री जारी हो।

**निर्णय आज दिनांक 04.04.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।**

सत्यमेव जयते

4/4/24

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला दूदू

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला दूदू

धर्मेन्द्र बनाम तहसीलदार
मु0न0:– 45 / 2021
निर्णय दिनांक:– 04.04.2024

# डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

**अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी फागी जिला दूदू**
**बइजलास– राकेश कुमार II (आर.ए.एस.)**

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी फागी जिला – दूदू)

उनवान

धर्मेन्द्र कुमार पारीक पुत्र पुरूषोत्तम एन. पारीक दत्तक पुत्र मोहनलाल पारीक जाति पारीक निवासी ग्राम नीमेडा तहसील फागी जिला जयपुर राज. हाल निवासी जी–47 आर.एस.एस. नगर एम.आई.जी. कॉलोनी इन्दौर, नन्दा नगर इन्दौर मध्यप्रदेश

बनाम

तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर।

**::– वाद घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती ::–**
मु0न0:– 45 / 2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादी श्री प्रेमचन्द शर्मा हाजिर रूबरू मिनजानिब मुदायलह पेश होकर पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि **वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खाता संख्या 265 के आराजी खसरा नम्बर 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2818 कुल किता 14 कुल रकबा 15 बीघा 12 बिस्वा अर्थात 3.9324 है0 भूमि वाके ग्राम नीमेडा तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है। आराजीयात के वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे अंकन धर्मेन्द्र कुमार पुत्र मोहनलाल के स्थान पर धर्मेन्द्र कुमार पुत्र पुरूषोत्तम एन पारीक दत्तक पुत्र मोहनलाल दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है तथा वादी को अपने राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष इन्द्राज यथावत रहेगा।**

निज......... NIL .........................मुबलिग............. NIL ........................बाबत.................. NIL ..........................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह ................... NIL ......................फीसदी............. NIL ...............सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ........ NIL........का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 04.04.2024 को जारी की गई।

दस्तखत........ 5/4/24
उपखण्ड अधिकारी
ओहदा..................
फागी,जिला–दूदू

मुहर

| [illegible] | रूपये | पैसे | मुदायलह | रूपये | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | | | स्टाम्प अर्जी दावा | | |
| स्टाम्प वकालतनामा | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वजह सबुत | | | महन्ताना वकील | | |
| महन्ताना वकील | | | खर्चा गवाहान | | |
| खर्चा गवाहान | | | फीस कमीश्नर | | |
| फीस कमीश्नर | | | बबत इजराय हुक्मनामा | | NIL |
| बबत इजराय हुक्मनामा | | | मुतफरिक | | |
| मुतफरिक | | | मीजान | | |
| मीजान | | | | | |

5/4/24
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला दूदू
(मुहर: उपखण्ड अधिकारी फागी,जिला–दूदू)